

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(8)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो/परिपत्र/2019/

दिनांक: 19.05.2021

परिपत्र-6

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में "Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की घोषणा की गयी है।" इस स्कीम की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु जन आधार कार्ड/जन आधार रसीद संख्या को आवश्यक किया गया है।

प्राधिकरण के परिपत्र-4 दिनांक 20.04.2021 के द्वारा अन्य राज्यों में निवास कर रहे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों के परिवारों को भी Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऐसे परिवारों को जन आधार नामांकन हेतु योग्य माना जाकर, इन परिवारों को भी जन आधार कार्ड में नामांकन की सुविधा प्रदान की गयी है।

इस क्रम में अन्य राज्यों में निवास कर रहे उक्त लाभार्थी वर्ग को RGHS योजना के लाभों को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से प्रदायगी के लिए जन आधार नामांकन हेतु न्यायाधीश, न्यायाधिकारी द्वारा उनकी Employee ID, विधायकगण, पूर्व विधायकगण द्वारा उनके DDO No., राज्य के सरकारी कर्मचारी-अधिकारी द्वारा उनकी Employee ID, निगम, बोर्ड के कर्मचारी-अधिकारी द्वारा उनके GPF/CPF ID एवं पेंशनर्स द्वारा उनके PPO No. को अंकित किया जाना है और इससे समर्थित दस्तावेज (Supporting Document) भी अपलोड किये जाने हैं। इस प्रकार उक्त लक्षित लाभान्वित वर्गों द्वारा की गयी स्वघोषणा के आधार पर जन आधार नामांकन को सीधे ही अनुलिपिकरण (De-duplication Process) उपरान्त जन आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।

(निरंजन आर्य)

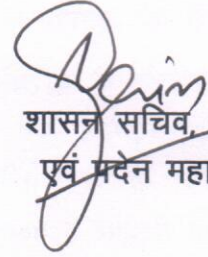
मुख्य सचिव
एवं अध्यक्ष

क्रमांक: एफ17(8)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो/परिपत्र/2019/

दिनांक: 9.05.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक(तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
10. एस.ए./ए.सी.पी.(उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।


शासन सचिव, आयोजना
एवं मन्त्र महानिदेशक